

#### असाधारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 2444] No. 2444] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 2, 2014/अग्रहायण 11, 1936

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 2, 2014/AGRAHAYANA 11, 1936

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसंबर, 2014

का.आ. 3038(अ).—भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 43 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित प्रयोगशालाओं को नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित प्रत्येक प्रयोगशाला के सामने वर्णित विनिर्दिष्ट क्षेत्रों और परिमाण के लिए रेफरल खाद्य प्रयोगशाला के कृत्यों को करने के लिए और ऐसे अन्य कृत्य, जो उसे खाद्य प्राधिकरण द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन सौंपे गए हैं, करने के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से मान्यता प्रदान करती है, अर्थात्:-

क्रम सं.	रेफरल खाद्य प्रयोगशाला का नाम	स्थानीय क्षेत्र/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, 3 केवाईडी स्ट्रीट, कोलकाता-700016	आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ।
2.	निदेशक, खाद्य सुरक्षा और विश्लेषणात्मक क्वालिटी नियंत्रण प्रयोगशाला, मार्फत, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर - 570013	बिहार, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, संघ राज्यक्षेत्र दादर और नगर हवेली, दमन और दीव और पुदुच्चेरी।
3.	निदेशक, राज्य लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, स्टेवली रोड, छावनी जल संकर्म परिसर, पुणे-411001	अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओड़िसा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और संघ राज्यक्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षदीप।

क्रम सं.	रेफरल खाद्य प्रयोगशाला का नाम	स्थानीय क्षेत्र/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र
(1)	(2)	(3)
4.	निदेशक, खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला, अहिंसा खंड-II, इंदिरापुरम, गाजियाबाद-201014	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, असम, और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़।
	रेफरल खाद्य प्रयोगशाला का नाम	जांच की परिधि के अनुसार (संपूर्ण भारत)
5.	निदेशक, भारतीय उद्यान कृषि अनुसंधान संस्थान, हेसरघटा लेक पोस्ट, बंगलौर -560089	फल और सब्जियों, अनाजों और दालों, जल, मसालों (करीपत्ता) में नाशक जीव मार अवशिष्ट का विश्लेषण । ताजे और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की पौष्टिकता, संन्निकट और सूक्ष्म जैविक विश्लेषण ।
6.	निदेशक, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, पोस्ट बेग सं. 01; डाकघर जाखिनी (शहंशापुर), वाराणसी-221305	सब्जियों में नाशक जीव मार अवशिष्ट, भारी धातुओं सूक्ष्म जीवाणु संदूषण माइको विषाक्तता प्रतिजीवी, नि:संक्रामकों, रंजक अभिकर्ताओं, मिलावटों, खाद्य प्रतियोज्य, फोटोहेमाग्लुटिनिन, अलर्जनीन्स आदि
7.	निदेशक, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मसाला बोर्ड, पल्लारीवट्टम, डाकघर कोच्चि-682025	मसालों में रासायनिक संदूषण (नाशक जीवमार अवशिष्ट, भारी धातु, अविधिमान्य रंजकों और अन्य रासायनिक संदूषण) माइको विषाकत्ता (अफलेटोक्सिन, आक्राटॅक्सीन आदि), सूक्ष्म जीव संदूषणों, भौतिक संदूषणों और मिलावटों का विश्लेषण।
8.	निदेशक, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मसाला बोर्ड, छुट्टुगुंटा केन्द्र, जीटी रोड, गुंटूर -522004	-यथोपरि-
9.	निदेशक, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मसाला बोर्ड, प्लाट सं. आर-11, सिपकॉर्ट औद्योगिक परिसर, गुमडीपुंडी, जिला तिरुवेल्लूर चैन्नई -601201	-यथोपरि-
10.	निदेशक, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मसाला बोर्ड, पहली मंजिल बैंकिंग परिसर, II सेक्टर 19ए, वाशी, नवी मुंबई-400703	-यथोपरि-
11.	कार्यकारी निदेशक, पशु धन का खाद्य में विश्लेषण और शिक्षण (सीएएलएफ) राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एनडीडीबी), आनंद- 388001, गुजरात	दूध और दूध उत्पादों, नाशक जीवमार प्रतिजीवी और पशु औषधों, सूक्ष्म जीवाणु संदूषण और माइको विषाक्तता, भारी धातुओं, पीएएच, डायोक्सिन, अन्य उभरते हुए संदूषणों और सूक्ष्म जीवाणु मापदंड का दूध और दूध उत्पादों में विश्लेषण।

(3)
त्रिं नमी का विश्लेषण हैक्सीन अघुलनीय पदार्थ, अम्ल मूल्य, असाबुनिकरणीय पदार्थ, एलाइल आइसोथियोसाइनेट, रिकर्ट मेसल मूल्य, पैराक्साइड मूल्य वसा अम्ल कंपोजिशन, वनस्पति वसा में पशु वसा की उपस्थिति, शीत जांच, भौतिक गुण धर्म की जांच, वनस्पति में निकिल, सोयाबीन के तेल में फासफोरस, रैंसीडिटी की उपस्थिति, घुलनशील रंजक, सूकर वसा की उपस्थिति, फास्फोलाइपिड्स, टोकोफेरोल अंत: वसा अम्ल अवधारण, नाशक जीव अवशिष्ट, भारी धातु का

2. पूर्वोक्त वर्णित प्रयोगशालाओं की मान्यता और वैधता खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों या आदेशों द्वारा शासित होगी।

> [फा. सं. 3-2/आरपी/मानक/2012- एफएसएसएआई] युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

# MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA) NOTIFICATION

New Delhi, the 2<sup>nd</sup> December, 2014

S.O. 3038 (E). – In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India (herein referred to as the Food Authority) hereby recognises the following laboratories to carryout functions of referral food laboratory for the specified areas and scope mentioned against the each laboratory mentioned in column (3) of Table given below and to carry out such other functions as entrusted to it by the Food Authority under Food Safety and Standards Act, 2006, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

S. No (1)	Name of the Referral Food Laboratories (2)	Local Areas/State/ Union territory (3)
1.	Director, Central Food Laboratory, 3 Kyd Street, Kolkata 700016.	Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu.
2.	Director, Food Safety and Analytical Quality Control Laboratory, C/o. Central Food Technological Research Institute, Mysore –570013.	
3.	Director, State Public Health Laboratory Stavely Road, Cantonment Water Works Compound, Pune-411 001.	Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Sikkim, Tripura, Uttarakhand and Union territories of Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep.
4.	Director, Food Research and Standardization Laboratory, Ahinsa Khand-II, Indirapuram, Ghaziabad-201014.	Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Punjab, Assam, and Union territory of Chandigarh.

	Name of the Referral Food Laboratories	As per Scope of testing (All over India)
5.	Director, Indian Institute of Horticultural Research, Hessaraghatta lake post, Bangalore - 560 089.	Pesticide residue analysis of fruits and vegetables, cereals and pulses, water, spices (curry leaves). Nutritional, Proximate and microbiological analysis of fresh and processed food products.
6.	Director, Indian Institute of Vegetable Research, Post Bag No. 01; P.O. JAKHINI, (SHAHANSHAPUR), Varanasi - 221 305.	Analysis of pesticide residue, heavy metals, microbial contaminations, mycotoxins, antibiotics, disinfectants, colouring agents, adulterants, food additives, phtohaemagglutinin, allergens etc. in Vegetables.
7.	Director, Quality Evaluation Laboratory, Spices Board, Palarivattom P.O., Kochi – 682025.	Analysis of chemical contaminants (pesticide residues, heavy metals, illegal dyes and any other chemical contaminant), mycotoxins (aflatoxins, ochratoxin etc.), microbial contaminants, physical contaminants and adulterants in Spices.
8.	Director, Quality Evaluation Laboratory, Spices Board, Chuttugunta Center, GT Road, Guntur – 522004.	-Do-
9.	Director, Quality Evaluation Laboratory, Spices Board, Plot No. R-11, Sipcot Industrial Complex, Gummidipoondi, Thiruvallur District, Chennai – 601201.	-Do-
10.	Director, Quality Evaluation Laboratory, Spices Board, First Floor, Banking Complex II, Sector 19A, Vashi, Navi Mumbai – 400703.	-Do-
11.	Acting Director, Centre for Analysis and Learning in Livestock in Food (CALF), National Dairy Development Board (NDDB), Anand – 388001, Gujarat.	Milk and Milk Products, Analysis of pesticides, antibiotics and veterinary drugs, microbial contaminants and mycotoxins, heavy metals, PAHs, dioxin, other emerging contaminants and Microbial parameters in milk and milk products.
12.	Director, CSIR-Indian Institute of Chemical Technology Uppal Road, Tarnaka, Hyderabad – 500007.	Analysis of moisture, hexane insoluble matter, acid value, unsaponifiable matter, iodine value, saponification value, allyl isothiocyanate, Reichert Meissl value, peroxide value, fatty acid composition, presence of animal body fate in the vegetable fat, cold test, test for physical properties, nickel in vanaspati, phosphorous in soyabean oil, presence rancidity, soluble colors, presence of beef fat, phospholipids, tocopherol, trans fatty acid determination, Pesticide Residues, Heavy metal analysis in fats and oils.

2. The recognition and validity of above mentioned laboratories shall be governed by the guidelines or orders issued by the Food Authority from time to time.

[F. No. 3-2/RP/Standards/2012 - FSSAI]

YUDHVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer